(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 1 **नई दिल्ली 1 जनवरी 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास स्थित ईक्यू-8 और ईक्यू-9 संख्या वाली बर्थों के प्रचालन के लिए वैज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमि. के प्रचलित दरमान की वैधता, संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है ।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/33/2004-वीएसएल

वैज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमि. ---- आवेदक

आ दे श

(दिसम्बर 2008 के 17 वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) स्थित ईक्यू 8 और ईक्यू-9 संख्या वाली बर्थों के प्रचालन के लिए वैज़ाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) के प्रचलित दरमान की वैधता को विस्तार देने से संबंधित है ।

2. इस प्राधिकरण ने वीएसपीएल के प्रचलित दरमान की वैधता को 30 जून 2008 तक विस्तार देते हुए 28 जनवरी 2008 को एक आदेश पारित किया था । वैधता को 30 सितम्बर 2008 के आदेश द्वारा 31 दिसम्बर 2008 तक या स्वीकृत किए जाने वाले संशोधित दरमान को लागू करने की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार दिया गया था ।

3. वीएसपीएल ने, लागत अनुमानों को परिवर्तित करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इसने मूलरूप से प्रस्तावित दरमान में कुछ फेर बदल प्रस्तावित किए हैं ।

4. संशोधित प्रस्ताव पर संयुक्त सुनवाई के आयोजन के बाद ही संशोधित प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रकरण को बंद करने से पहले और अधिक विश्लेषण और जाँच - पड़ताल के लिए कुछ और समय की आवश्यकता हो सकती है, यह प्राधिकरण प्रचलित दरमान की वैधता 31 मार्च, 2009 या स्वीकृत किए जाने वाले संशोधित दरमान को लागू करने की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तार प्रदान करता है ।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष